राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/08/2019 को संपन्न 288वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

---00---

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 288वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 19/08/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1ः **दिनांक 23/07/2019, 24/07/2019 एवं 25/07/2019 को संपन्न क्रमशः 285वीं, 286वीं एवं 287वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 23/07/2019, 24/07/2019 एवं 25/06/2019 को संपन्न क्रमशः 285वीं, 286वीं एवं 287वीं बैठक हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2ः **दिनांक 01/08/2019 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स मुरारीलाल केदारमल डोलोमाईट माईन (हरदी डोलोमाईट माईन) (प्रो. श्रीमती पारवती बाई अग्रवाल), ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 137)

ऑफलाईन आवेदन – परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 15/05/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह डोलोमाईट खदान ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 41/1, कुल लीज क्षेत्र 6.056 हेक्टेयर (14.96 एकड़) में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,950 टन प्रतिवर्ष है।

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति – एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के ज्ञापन क्रमांक 100, दिनांक 07/08/2012 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाईट खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1117/खनि./ 2010 बिलासपुर, दिनांक 03/07/2010 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 4 खदानें क्षेत्रफल 13.314 हेक्टेयर है।
2. पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. **उत्खनन योजना** – पूर्व अनुमोदित माईनिंग प्लान में उत्खनन हेतु वर्ष 2007 से 2012 तक का वर्षवार उत्खनन विवरण प्रस्तुत किया गया है। अतः अद्यतन अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी 500 मीटर की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज अवधि वृद्धि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. सचिव, ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर, ग्राम–कुंदरू तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 914)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38795/2019, दिनांक 08/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुंदरू, ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–

रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 6, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पांगन नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,084 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

<u>प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र</u> – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तालकेश्वरपुर का दिनांक 24/04/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 246/खनिज/रेत/2019 बलरामपुर, दिनांक 27/06/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 15 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, नहर या नालों, मंदिर, मस्जिद, मरघट आदि सार्वजनिक स्थल नहीं है।
5. समीपस्थ आबादी ग्राम–कुंदरू 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल 1 किलोमीटर एवं अस्पताल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.5 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 15.2 किलोमीटर दूर है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
7. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – लगभग 110 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 62 मीटर दर्शाई गई है।
8. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 67,084 घनमीटर हैं।

<u>बैठक का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019</u> – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा जारी चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित संबंधी प्रमाण पत्र में कुल लीज क्षेत्र 5.3 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। परंतु यह खदान कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर हेतु आवेदन किया गया है। अतः कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा जारी चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित संबंधी संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत मंदरौद, ग्राम–मंदरौद, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 916)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39050 / 2019, दिनांक 11 / 07 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मंदरौद, ग्राम पंचायत मंदरौद, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1711 / 1, कुल लीज क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदरौद का दिनांक 08 / 03 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 366/खनि/न.क्र./2019 धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 30 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–गाड़ाडीह 0.85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–मंदरौद 1 किलोमीटर एवं अस्पताल कुरुद 6.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 22 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 400 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 144 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 60,000 घनमीटर हैं।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की

गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्रीमती शेरली पोन्नाचन डोलोमाईट माईन, ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 917)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39051/2019, दिनांक 11/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21/6 (पार्ट), 21/7, 21/8 एवं 21/9, कुल लीज क्षेत्र 1.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–36,581.25 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाईट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई का दिनांक 17/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.लि.3/ खनिज/न.क्र.168/2019 दुर्ग, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 9 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.875 हेक्टेयर है, जिनमें से सभी उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर एवं पूर्व दिशा में छोटा नहर नाली स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 20/02/2019 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 06/06/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स विष्णु केमिकल लिमिटेड, ग्राम–भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 485ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी2 / 17059/2016, दिनांक 28/04/2017 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पत्र दिनांक 10/07/2019 द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में दिनांक 06/09/2016 को इनऑर्गेनिक कम्पाउण्ड एण्ड फाइन केमिकल मेन्युफेक्चरिंग हेतु टीओरआर बाबत् आवेदन किया गया था। परियोजना प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 606 दिनांक 03/11/2017 द्वारा प्लॉट नं. 18 से 26, इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, नंदनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लेण्ड एरिया 6.47 हेक्टेयर में वर्तमान में स्थापित इनआर्गेनिक केमिकल्स उत्पादन इकाई क्षमता 8150 टन / वर्ष में अतिरिक्त डायवर्सिफिकेशन कार्यकलाप यथा सेकरिन – 1000 टन/वर्ष एवं सेकरिन सोडियम – 1000 टन/वर्ष कुल उत्पादन (10150 टन/ वर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्रमांक 37 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh" में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में वर्तमान में स्थापित ईकाइयों तथा प्रस्तावित ईकाइयों से होने वाले कुल प्रदूषण भार (दूषित जल की मात्रा, ठोस अपशिष्ट की मात्रा, हजाड्र्स अपशिष्ट की मात्रा आदि) की गणना एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत परसडीहा, ग्राम–जमई, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 918)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39067/2019, दिनांक 12/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जमई, ग्राम पंचायत परसडीहा, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, कुल लीज क्षेत्र 5.06 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मोरन नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–52,084 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परसडीहा दिनांक 30/09/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 565/खनिज/रेत/2015, बलरामपुर दिनांक 15/12/2015 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 3 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–जमई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था एवं अस्पताल ग्राम–जमई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 0.1 किलोमीटर दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड

एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – लगभग 100 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 70 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 52,084 घनमीटर है।
10. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– पूर्व में रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल–5.06 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 5037 दिनांक 16/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
11. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर नदी तट एवं ग्राम के अन्य उपलब्ध भूमि पर कुल 1,005 नग पौधे लगाए गए है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति घुंघुट्टा नदी से रेत उत्खनन हेतु दिया गया था। वर्तमान में उसी खसरा क्रमांक एवं लीज क्षेत्र में मोरन नदी से रेत उत्खनन हेतु आवेदन किया गया है। स्थिति स्पष्ट की जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–नवागांव एवं तुता, सेक्टर–24, अटल नगर, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 919)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एनसीपी / 39145 / 2019, दिनांक 12 / 07 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण –

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–नवागांव एवं तुता, सेक्टर–24, अटल नगर, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 4 / 2, 5, 6, 7, 8 / 1, 8 / 2, 8 / 3, 8 / 4, 8 / 5, 8 / 6, 8 / 7, 8 / 9, 8 / 10, 11, 12, 13, 14, 15 / 1, 17, 18, 19, 20 / 1, 20 / 2, 20 / 3, 21 / 1, 21 / 2, 21 / 3, 22, 23 / 1, 23 / 2, 23 / 3, 23 / 4, 23 / 5, 24, 25, 26, 27 / 1, 27 / 2, 28 / 1, 28 / 2, 29, 23 / 1, 32 / 2, 35 / 1, 35 / 2, 36, 37 / 1, 37 / 2, 38 / 1, 38 / 2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 / 1, 46 / 2, 47 / 1, 47 / 2, 47 / 3, 47 / 4, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 75, 76 / 1, 76 / 2, 77, 79, 80, 81, 87, 88, 250 / 1, 250 / 2, 493 / 6, 493 / 7, 493 / 8, 493 / 6, 505, 506, 507 / 1, 507 / 2, 507 / 3, 507 / 4, 507 / 5, 507 / 6, 508 / 1, 508 / 2, 508 / 3, 509 / 1, 509 / 2, 509 / 3, 510 / 1, 510 / 2, 510 / 3, 510 / 4, 510 / 5, 511 / 1, 511 / 2, 511 / 3, 511 / 4, 511 / 5, 511 / 6, 511 / 7, 511 / 8, 511 / 9, 511 / 10, 511 / 11, 511 / 12, 512 / 1, 512 / 2, 513, 514, 526 / 2, 526 / 3, 526 / 4, 526 / 7, 531 / 2, 531 / 4, 531 / 5, 531 / 6, 531 / 7, 531 / 8, 531 / 9, 531 / 10, 531 / 11, 531 / 12, 531 / 13, 531 / 14, 532, 533 / 5, 533 / 8, 541, 542, 543 / 1, 543 / 2, 546 / 1, 546 / 2, 546 / 3, 547, 548, 549 / 1, 549 / 2, 549 / 3, 549 / 4, 549 / 5, 549 / 6, 549 / 7, 549 / 8, 549 / 9, 549 / 10, 549 / 11, 549 / 12, 550 / 1, 550 / 2, 550 / 3, 550 / 4, 550 / 5, 551 / 1, 551 / 2, 551 / 3, 551 / 4, 551 / 5, 551 / 6, 551 / 7, 552 / 1, 552 / 2, 552 / 3, 552 / 4, 552 / 5, 552 / 6, 552 / 7, 553, 598 / 4, 599, 600, 602 / 1 एवं 602 / 2 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स (गोल्फ कोर्स) प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल – 5,61,723.6 वर्गमीटर (56.17 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टी.ओर.आर. बाबत् आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 65 लाख होगा।
2. **विकास अनुज्ञा** – संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 5228, दिनांक 14 / 06 / 2017 द्वारा गोल्फ कोर्स प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा जारी किया गया है। तत्पश्चात संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 13474, दिनांक 22 / 11 / 2017 द्वारा गोल्फ कोर्स प्रयोजन हेतु संशोधित विकास अनुज्ञा जारी किया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)
1.	Total Land Available	5,61,723.6
2.	Golf Course	3,78,539.8
3.	Golf Parking and Roads	31,160.2
4.	Admin Building and Club House	20,998.94
5.	Parking [Admin Building and Club]	3,221.97
6.	Residential Area	84,139.8
7.	OSR	13,008.15
8.	Residential and Commercial Roads	2,5091.4
9.	Commercial	5,563
10.	**Total construction area**	**5,61,723.6**

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा विकास अनुज्ञा में वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बरबसपुर फ्लेग स्टोन माईन (श्री राजेन्द्र गुप्ता), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 924)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39261/2019, दिनांक 15/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 203, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,103 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 11/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 985/क/ ई–निविदा/ ख.लि./ न.क्र. 63/2019 महासमुंद, दिनांक 03/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 05/02/2019 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 31/07/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड (रतनपुर क्वार्टजाईट टेम्परी परमिट क्वारी 1), ग्राम–रतनपुर, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 921)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39187/2019, दिनांक 13/07/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रतनपुर, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 6631/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,85,973.73 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगरपालिका परिषद् रतनपुर का दिनांक 17/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – टी.पी. क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 359/ख.लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 29/05/2019 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय, वन परिक्षेत्र अधिकारी, रतनपुर जिला–बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 10/07/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स बिलासपुर पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड (रतनपुर क्वार्टजाईट टेम्पररी परमिट क्वारी 2), ग्राम–रतनपुर, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39187/2019, दिनांक 13/07/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रतनपुर, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 6631/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,89,221.45 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वार्टजाइट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगरपालिका परिषद् रतनपुर का दिनांक 17/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – टी.पी. क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 358/ख.लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 09/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 29/05/2019 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय, वन परिक्षेत्र अधिकारी, रतनपुर जिला–बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 10/07/2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स पी.आर.ए. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (करकोटी ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स्ड चिमनी ब्रिक प्लांट) ग्राम–करकोटी व तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 926)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40077/2019, दिनांक 27/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। ग्राम–करकोटी, तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 468, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 893.53 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट उत्पादन 8,50,250 नग प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत करकोटी द्वारा दिनांक 19/11/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 321/खनिज/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निंरक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 11/01/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–**

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री गिरधारी लाल तलरेजा), ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 793)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33218/2019, दिनांक 04/05/2019 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु पत्र दिनांक 22/07/2019 द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345/2, 345/3 एवं 345/4, कुल क्षेत्रफल – 3.74 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष है।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 445 दिनांक 10/07/2019 द्वारा पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345/2, 345/3 एवं 345/4, क्षेत्रफल–3.75 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी अवलोकन किया एवं पाया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष के साथ ओव्हर बर्डन/मुरूम क्षमता – 20,000 घनमीटर को शामिल किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. साथ ही जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम संशोधन **"मेसर्स चवेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री गिरधारी लाल तलरेजा)"** के स्थान पर **"मेसर्स श्री गिरधारी लाल तलरेजा (चवेली लाईम स्टोन क्वारी)"** हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स नांदगांव फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्रीमती सरोज चंद्राकर), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 935)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40475 /2019, दिनांक 01/08/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3216/3, कुल लीज क्षेत्र 0.83 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4717.44 टन प्रतिवर्ष (फ्लेग स्टोन अधिकतम 4,245.7 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन चिप अधिकतम 471.74 टन प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन माईन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 18/10/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1026/क/ ई–निविदा/ ख.लि./ न.क्र. 63/2019 महासमुंद, दिनांक 06/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें क्षेत्रफल 2.07 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में बरसाती नाला 80 मीटर, बम्हनी चिगरौंद मार्ग 140 मीटर एवं नहर 100 मीटर की दूरी में है तथा मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 08/03/2019 द्वारा जारी किया गया है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन दिनांक 26/07/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–**

परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना / खनिज खदान संबंधी प्रकरणों की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन / प्रकरण वापस किये जाने हेतु निर्णय लिया जाना।

समिति के समक्ष उक्त एजेन्डा के आधार पर आज दिनांक तक कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: गौण खनिजों एवं कंस्ट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **सरपंच, ग्राम पंचायत दरगहन, ग्राम–दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 897)**

   ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37375/2019, दिनांक 06/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दरगहन, ग्राम पंचायत दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 02, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दरगहन द्वारा दिनांक 08/02/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 354/खनि /न.क्र./2019/धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 40 मीटर है, तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 02, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 775 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 9 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी ऑकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

6. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) <u>समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 को समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर, ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 898)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37934/2019, दिनांक 06/06/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–राजपुर, ग्राम पंचायत राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित

खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,53,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर द्वारा दिनांक 08/02/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकतटम नदी तट से दूरी 30 मीटर है। तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 54 दिनांक 07/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 3 माह के भीतर पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (200 मीटर एवं 500 मीटर की जानकारी) में दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) <u>समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती छगनी निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर उपस्थित हुए। सरपंच द्वारा समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 को समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. सरपंच, ग्राम पंचायत जवरगांव, ग्राम–जवरगांव, तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 905)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37838/2019, दिनांक 17/06/2019।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह पूर्व से संचालित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–जवरगांव, ग्राम पंचायत जवरगांव, तहसील व जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 952, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–66,825 टन प्रतिवर्ष है।

<u>प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र</u> – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** -- रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जवरगांव द्वारा दिनांक 02/03/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला--बालोद द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकततम नदी तट से दूरी 50 मीटर है। तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण --

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः--**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः-- पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 952, क्षेत्रफल–4.95 हेक्टेयर, क्षमता--75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई. आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन कमांक 61 दिनांक 07/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी 500 मीटर के प्रमाण पत्र में ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जाए।

8. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) <u>समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. सरपंच, ग्राम पंचायत चिनौरी, ग्राम–चिनौरी, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब. कांकेर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 774)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 94962/2019, दिनांक 03/02/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/03/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/04/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चिनौरी, ग्राम पंचायत चिनौरी, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब.कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 917, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019</u> – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– पूर्व में द्वारा रेत खदान खसरा क्रमांक 917, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4258 दिनांक 17/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गीता मण्डावी, सरपंच एवं श्री कतले सिंह शोरी, सचिव, ग्राम पंचायत चिनौरी एवं श्री बी. एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया

है। एकत्रित किए गए आंकडे सही नहीं है। अतः वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) की प्रस्तुत जानकारी को मान्य नहीं किया जा सकता है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.8 मीटर है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के दिनांक 17/03/2016 द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि समाप्त होने के उपरांत आवेदित खदान को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ द्वारा दिनांक 30/05/2018 से दिनांक 29/07/2018 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के दिनांक 17/03/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 6 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 4 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी/

दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भरत लाल बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। खनि निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि सरपंच एवं सचिव प्रस्तुतीकरण हेतु अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर पोस्ट मानसून में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे 1 माह में लगाए जाए। साथ ही आगामी बैठक में उक्त वृक्षारोपण का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।
4. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल/वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. सरपंच, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), ग्राम–कुरूद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 899)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37416/2019, दिनांक 07/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कुरूद, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला), तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 2742, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) दिनांक 28/04/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशा.) वास्ते कलेक्टर एवं सहायक खनिज अधिकारी, रायपुर द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 536, रायपुर, दिनांक 30/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, ऐनीकट, वाटर सप्लाई स्कीम, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक एवं खनि निरीक्षक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती राजश्री साहू, सरपंच एवं श्री नरेन्द्र पटेल, सचिव, ग्राम पंचायत कुरूद (कुटेला) तथा श्री रोहित साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

2. समीपस्थ आबादी ग्राम–कुरूद 1.75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–कुरूद 1.75 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम–समोदा 7.70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.1 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 16.6 किलोमीटर दूर है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 1150 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 163.93 मीटर दर्शाई गई है।

5. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे इस मानसून में लगाए जाने हेतु निर्देश दिए गये।

8. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रेत खदान के कुल पूंजीगत व्यय/लागत का 2 प्रतिशत राशि का व्यय गांव के शासकीय स्कूल में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था में किया जाएगा। इस बाबत् विस्तृत प्रस्ताव मय प्राक्कलन के एक माह में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 5 मीटर है।

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

12. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

13. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (नकटीखपरी लाईम स्टोन क्वारी बी), ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 886)

<u>ऑनलाईन आवेदन</u> – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36818/2019, दिनांक 27/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/06/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

<u>प्रस्ताव का विवरण</u> – यह संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 55/26 एवं 55/29(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 52,218.75 टन प्रतिवर्ष है।

<u>बैठकों का विवरण</u> –

(अ) <u>समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019</u> – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पत्र दिनांक 22/07/2019 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में किए जाने की प्रतिबद्धता होने के कारण प्रस्तुतीकरण हेतु यथा संभव शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर समिति द्वारा तत्समय विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) <u>समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019</u> – समिति की दिनांक 24/07/2019 को संपन्न 286वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरी शंकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जलसो द्वारा दिनांक 03/12/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – उप संचालक (खनि.प्रशा.), वास्ते कलेक्टर, जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 9.618 हेक्टेयर है।

4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 13/12/2016 द्वारा जारी किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की प्रथम बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरी शंकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकल किया एवं पाया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान लीज अवधि समाप्त हो गई है। लीज नवीनीकरण के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है।
2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** –कार्यालय कलेक्टर (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2019/939 रायपुर, दिनांक 25/07/2019 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, कुल क्षेत्रफल 1.618 हेक्टेयर है। उप संचालक (खनि.प्रशा.) द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जारी 500 मीटर की जानकारी में उल्लेखित सूची के क्रमांक 1 से 8 तक मेसर्स खेतान बिल्डकॉन को सैद्धांतिक निर्णय (LOI) स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में उत्खनन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है।
3. समीपस्थ आबादी ग्राम–नकटीखपरी 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बैकुण्ठ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 3.5 किलोमीटर दूर है। खारून नदी 17 किलोमीटर एवं नाला 70 मीटर दूर है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
5. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,81,470 टन एवं माईनेबल रिजर्व 52,230 मीट्रिक टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। पूर्व में 12 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है एवं उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। जैक हेमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता

है। जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकतटम ट्यूब वेल से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	13,925	1.5	20,887.5	52,218.75

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में चूना पत्थर खसरा क्रमांक 55/26 एवं 55/29(पार्ट), क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर, क्षमता–52,218 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ के ज्ञापन क्रमांक 579 दिनांक 14/05/2018 के द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता दिनांक 02/12/2018 तक थी।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्तमान में पौधे जीवित नहीं होना बताया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा शर्तानुसार वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।

8. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
			Following activities done in Nakti Khapri Govt School.	
			Rain Water Harvesting	Rs. 0.40
Rs. 33.62	2%	Rs. 0.67	Supply of Running Water in the Toilets	Rs. 0.10
			Fencing & Plantation of Surrounding Areas	Rs. 0.17
			Total	**Rs. 0.67**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाने का कमिटमेंट (Commitment) प्रस्तुत किया गया है।

11. खदान परिसर में चारों तरफ 550 नग पौधें एवं समीपस्थ ग्राम में अतिरिक्त 1,000 नग पौधें लगाए जाने हेतु निर्देश दिया गया। जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा मान्य करते हुए, 45 दिवस के भीतर पौधें लगाये जाने बाबत् आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–</u>

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2019/939 रायपुर, दिनांक 25/07/2019 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, कुल क्षेत्रफल 1.618 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नकटीखपरी) का रकबा 0.809 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–नकटीखपरी (**क्वारी 'बी'**), तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 55/26 एवं 55/29(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन

क्षमता – 52,218 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (नकटीखपरी लाईम स्टोन क्वारी ए), ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 884)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36812/2019, दिनांक 27/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 55/29, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 67,725 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पत्र दिनांक 22/07/2019 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में किए जाने की प्रतिबद्धता होने के कारण प्रस्तुतीकरण हेतु यथा संभव शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर समिति द्वारा तत्समय विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरी शंकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जलसो द्वारा दिनांक 03/12/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – उप संचालक, (खनि.प्रशा.), वास्ते कलेक्टर, जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 9.618 हेक्टेयर है।
4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 13/12/2016 द्वारा जारी किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं की गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की प्रथम बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) <u>समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019</u> – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरी शंकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया एवं पाया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान लीज अवधि समाप्त हो गई है। लीज नवीनीकरण के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2019/939 रायपुर, दिनांक 25/07/2019 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, कुल क्षेत्रफल 1.618 हेक्टेयर है। उप संचालक (खनि.प्रशा.) द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जारी 500 मीटर की जानकारी में उल्लेखित सूची के क्रमांक 1 से 8 तक मेसर्स खेतान बिल्डकॉन को सैद्धांतिक निर्णय (LOI) स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में उत्खनन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है।
3. समीपस्थ आबादी ग्राम–नकटीखपरी 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बैकुण्ठ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 3.5 किलोमीटर दूर है। खारून नदी 17 किलोमीटर एवं नाला 65 मीटर दूर है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
5. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,99,350 टन एवं माईनेबल रिजर्व 67,725 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। पूर्व में 6 मीटर गहराई

तक उत्खनन किया गया है एवं उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। जैक हेमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकतटम ट्यूब वेल से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष (प्रथम)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम बेंच	5,050	1.5	7,575	18,937.5
द्वितीय बेंच	4,600	1.5	6,900	17,250
तृतीय बेंच	4,350	1.5	6,525	16,312.5
चतुर्थ बेंच	3,980	1.5	5970	14,925
कुल	**17,980**	–	**26,970**	**67,425**

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में चूना पत्थर पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 55/29, क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर, क्षमता–37,835 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 467 दिनांक 13/12/2017 के द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्तमान में पौधे जीवित नहीं होना बताया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा शर्तानुसार वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।

8. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Rs. 33.62</td><td rowspan="5">2%</td><td rowspan="5">Rs. 0.67</td><td colspan="2">Following activities done in Jalso Govt School.</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting</td><td>Rs. 0.40</td></tr>
<tr><td>Supply of Running Water in the Toilets</td><td>Rs. 0.10</td></tr>
<tr><td>Fencing & Plantation of Surrounding Areas</td><td>Rs. 0.17</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>Rs. 0.67</td></tr>
</table>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाने का कमिटमेंट (Commitment) प्रस्तुत किया गया है।

11. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया</u>:–

1. यह प्रकरण खदान की उत्पादन क्षमता में 37,835 टन प्रतिवर्ष से 67,725 टन प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी (Expansion) का है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।

3. खदान परिसर में चारों तरफ 550 नग पौधें एवं समीपस्थ ग्राम में अतिरिक्त 1,000 नग पौधें लगाए जाए।

क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (नकटीखपरी लाईम स्टोन क्वारी सी), ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 890)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37133/2019, दिनांक 01/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नकटीखपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 55/26, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 70,271.25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित अनुरोध पत्र दिनांक 22/07/2019 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में किए जाने की प्रतिबद्धता होने के कारण प्रस्तुतीकरण हेतु यथा संभव शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर समिति द्वारा तत्समय विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 – समिति की दिनांक 24/07/2019 को संपन्न 286वीं बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरी शंकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जलसो द्वारा दिनांक 03/12/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – उप संचालक (खनि.प्रशा.), वास्ते कलेक्टर, जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 9.618 हेक्टेयर है।

4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन दिनांक 13/12/2016 द्वारा जारी किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की प्रथम बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरी शंकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकल किया एवं पाया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान लीज अवधि समाप्त हो गई है। लीज नवीनीकरण के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2019/939 रायपुर, दिनांक 25/07/2019 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, कुल क्षेत्रफल 1.618 हेक्टेयर है। उप संचालक (खनि.प्रशा.) द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जारी 500 मीटर की जानकारी में उल्लेखित सूची के क्रमांक 1 से 8 तक मेसर्स खेतान बिल्डकॉन को सैद्धांतिक निर्णय (LOI) स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में उत्खनन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है।
3. समीपस्थ आबादी ग्राम–नकटीखपरी 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन बैकुण्ठ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 3.5 किलोमीटर दूर है। खारून नदी 17 किलोमीटर एवं नाला 90 मीटर दूर है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,61,625 टन एवं माईनेबल रिजर्व 70,275 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। पूर्व में 6 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है एवं उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। जैक हेमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकतटम ट्यूब वेल से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 650 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (मीट्रिक टन)
प्रथम	18,739	1.5	28,108.5	70,271.25

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में चूना पत्थर खसरा क्रमांक 55/26 (पार्ट), क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर, क्षमता–70,271 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 577 दिनांक 14/05/2018 के द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता दिनांक 02/12/2018 तक थी।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्तमान में पौधे जीवित नहीं होना बताया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा शर्तनुसार वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।

8. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   c) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   d) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा जारी प्रारुप अनुसार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान नई होने के कारण वर्तमान में नए प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा उक्त अनुरोध को मान्य किया गया।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 33.62	2%	Rs. 0.67	Following activities done in Jalso Govt School.	
			Rain Water Harvesting	Rs. 0.40
			Supply of Running Water in the Toilets	Rs. 0.10
			Fencing & Plantation of Surrounding Areas	Rs. 0.17
			Total	**Rs. 0.67**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाने का कमिटमेंट (Commitment) प्रस्तुत किया गया है।

11. खदान परिसर में चारों तरफ 550 नग पौधें एवं समीपस्थ ग्राम में अतिरिक्त 1,000 नग पौधें लगाए जाने हेतु निर्देश दिया गया। जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा मान्य करते हुए, 45 दिवस के भीतर पौधें लगाये जाने बाबत् आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया है।

<u>समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–</u>

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2019/939 रायपुर, दिनांक 25/07/2019 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, कुल क्षेत्रफल 1.618 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नकटीखपरी) का

रकबा 0.809 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–नकटीखपरी (**क्वारी 'सी'**), तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 55/26, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 70,271 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स एल.के. कार्पोरेट एण्ड लॉजिस्टीक पार्क, ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 911)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस /109058/ 2019, दिनांक 26/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–डुमरतराई, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 192/3, 192/6, 193/13, 193/23, 193/26, 185/22, 185/35, 193/16, 185/20, 193/21, 185/15, 193/14, 193/25, 193/18, 193/33, 193/32, 193/12, 193/31, 193/7, 193/9, 193/10, 193/27, 197, 196, 193/6, 185/6, 193/1/30, 193/28, 193/29, 193/4, 193/36, 193/37 एवं 193/40 में प्रस्तावित बिल्डिंग एवं कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट का भूमि क्षेत्रफल – 95,310 वर्गमीटर (9.531 हेक्टेयर) तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 49,056.62 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019 – समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019 - प्रस्तुतीकरण हेतु कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/08/2019 द्वारा आवेदित प्रकरण को वापस लेने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को वापस लेने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

मेसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (नकटीखपरी लाईम स्टोन क्वारी बी) को खसरा क्रमांक 55/26 एवं 55/29(पार्ट), कुल 0.809 हेक्टेयर, ग्राम–नकटीखपरी (क्वारी 'बी'), तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 52,218 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.809 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर (गौण खनिज) का अधिकतम उत्खनन 52,218 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।

5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
Rs. 33.62	2%	Rs. 0.67	Following activities done in Nakti Khapri Govt School.	
			Rain Water Harvesting	Rs. 0.40
			Supply of Running Water in the Toilets	Rs. 0.10
			Fencing & Plantation of Surrounding Areas	Rs. 0.17
			Total	**Rs. 0.67**

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 550 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण 45 दिवस में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1000 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से 45 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाए।**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

19. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः

नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

परिशिष्ट–02

मेसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (नकटीखपरी लाईम स्टोन क्वारी सी) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 55/26, कुल 0.809 हेक्टेयर, ग्राम–नकटीखपरी (क्वारी 'सी'), तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 70,271 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। यह पर्यावरण स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.809 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर (गौण खनिज) का अधिकतम उत्खनन 70,271 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
Rs. 33.62	2%	Rs. 0.67	Following activities done in Jalso Govt School.	
			Rain Water Harvesting	Rs. 0.40
			Supply of Running Water in the Toilets	Rs. 0.10
			Fencing & Plantation of Surrounding Areas	Rs. 0.17
			Total	**Rs. 0.67**

14. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 550 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण 45 दिवस में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2019–20 में बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1000 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से 45 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाए।**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

19. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः

नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**